झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं०- 361/2021

शेखर प्रमाणिक उर्फ सेखर प्रमाणिक, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता दीपांकर प्रमाणिक, निवासी मकान नंबर 105/ए न्यू सीतारामडेरा, एग्रिको, डाकघर+थाना - एग्रिको, जिला - पूर्वी सिंहभूम (झारखंड) ....**याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. नवीन प्रकाश (प्रोपराइटर मेसर्स भारती एंटरप्राइजेज), पिता - किशन यादव, निवासी - हाउस नंबर 05, रोड नंबर 1, नीति बाग कॉलोनी, भैयाडीह, डाकघर - एग्रिको, थाना - सीतारामडेरा, जमशेदपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम (झारखंड) .... **विपक्षी**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता
श्री सागर कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : सुश्री सुषमा आइंद, अपर पी.पी.

विपक्षी संख्या 2 की ओर से : सुश्री प्राची प्रदीप्ति, अधिवक्ता
श्री राजन कुमार तिवारी, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आहवान करते हुए दायर की गई है, जिसमें जमशेदपुर में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम द्वारा आपराधिक विविध संख्या 16/2020 में पारित दिनांक 09.12.2020 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत और जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सीतारामडेरा पीएस केस संख्या 66/2020 के संबंध में एबीपी संख्या 534/2020 में पारित दिनांक 07.09.2020 के आदेश के तहत विपरीत पक्ष संख्या 2 को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर

दिया था, जो जी.आर संख्या 1169/2020 के अनुरूप है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने उक्त ए.बी.पी. संख्या 534/2020 की सुनवाई के समय भौतिक तथ्यों को दबा दिया कि एक समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध याचिका संख्या 1544/2020 में दिनांक 11.08.2020 के आदेश के तहत 'कोई कठोर कदम नहीं उठाने' का आदेश दिया था। इस प्रकार, विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा उक्त भौतिक तथ्य को दबा दिए जाने के परिणामस्वरूप उक्त जमानत आदेश पारित किया गया। इसलिए, विपक्षी पक्ष संख्या 2 को दी गई जमानत रद्द की जाए।

4. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने माना कि अग्रिम जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी/विपरीत पक्ष को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन अग्रिम जमानत के लिए आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा इस तरह के संरक्षण दिए जाने से पहले लंबित था और इसके अलावा यह उन भौतिक तथ्यों को छिपाने के बराबर नहीं है जो जमानत को रद्द करने का एक वैध कारण हो सकता है और आवेदन को खारिज कर दिया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि सीआरएमपी संख्या 1544/2020 में पारित दिनांक 11.08.2020 के आदेश के मद्देनजर विपक्षी पक्ष संख्या 2 के गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार होने की कोई आशंका नहीं थी और यदि विद्वान सत्र न्यायाधीश को इसकी जानकारी होती तो विपक्षी पक्ष संख्या 2 को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए था। इसलिए इसे दबाना भौतिक तथ्यों को दबाने के समान है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील एस.के. फरीद उर्फ फरीदुद्दीन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में सीआरआर संख्या 1525/2018 में पारित माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं जिसमें उस मामले के तथ्यों में जब मामले के आरोपी ने नियमित जमानत के लिए अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते समय; जमानत आवेदन में उल्लेख किया गया है कि कोई भी जमानत आवेदन, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है या उच्च न्यायालय के समक्ष निपटान के लिए लंबित है और इस तरह की घोषणा के आधार पर, जमानत दी गई थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मामले के आरोपी की जमानत रद्द करने की प्रार्थना के साथ सीआरपीसी की धारा 439 (2) के तहत एक याचिका पर विचार करने पर माना कि उच्च न्यायालय में पहले की जमानत प्रार्थना को दबाना अदालत के साथ धोखाधड़ी है और जमानत रद्द कर दी। उच्च न्यायालय ने देखा कि सत्र न्यायाधीश ने अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया और प्रस्तुत किया कि इस मामले में 'कोई कठोर

कदम नहीं' के निर्देश को दबाना, भले ही पहले दायर किया गया हो, भौतिक तथ्यों का दमन है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपराधिक विविध में जमशेदपुर में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम द्वारा पारित दिनांक 09.12.2020 के आदेश को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना। संख्या 16/2020 जिसके तहत और जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सीतारामडेरा थाना केस संख्या 66/2020 के संबंध में एबीपी संख्या 534/2020 में पारित दिनांक 07.09.2020 के आदेश के तहत विपरीत पक्ष संख्या 2 को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जो जीआर संख्या 1169/2020 के अनुरूप है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है, को अनुमति दी जाए।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर पीपी और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान वकील ने जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आपराधिक विविध संख्या 16/2020 में दिनांक 09.12.2020 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, जिसके तहत और जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सीतारामडेरा थाना केस संख्या 66/2020 के संबंध में एबीपी संख्या 534/2020 में दिनांक 07.09.2020 को पारित आदेश के तहत विपक्षी संख्या 2 को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जो जीआर संख्या 1169/2020 के अनुरूप है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है। विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने **भूरी बाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जो **2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1779** पैराग्राफ-20 में रिपोर्ट किया गया है, जो इस प्रकार है:-

> "20. अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं था कि अपीलकर्ता ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था या उस पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए किसी भी तरह से व्यवहार किया था। हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि जमानत रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए; और जमानत देने से पहले आरोपी की ओर से किसी कथित अनुशासनहीनता के लिए ऐसा रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जमानत रद्द करने की शक्तियों को आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में नहीं देखा जा सकता है और वास्तव में, ऐसे मामले में जहां जमानत पहले ही दी जा चुकी है, धारा 439 (2) सीआरपीसी के तहत इसे केवल ऐसे मामलों में उलट दिया जाता है जहां आरोपी की स्वतंत्रता आपराधिक मामले की उचित सुनवाई की आवश्यकताओं का प्रतिकार करने वाली

> हो। वर्तमान प्रकृति के मामले में, हमारे विचार में, मुद्दे का अति-विस्तार केवल एक कारण से आवश्यक नहीं था कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने के अपने आदेश में एक विशेष कारक नहीं बताया था।

और प्रस्तुत किया कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जब तक अभियुक्त के खिलाफ जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने या लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप नहीं है, तब तक जमानत रद्द करने का कोई उचित कारण नहीं है।

7. इसके बाद यह दलील दी गई कि विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका में किसी भी तरह के तथ्यों को छिपाया नहीं गया है, क्योंकि निर्विवाद रूप से, अग्रिम जमानत याचिका दायर किए जाने के समय तक इस न्यायालय द्वारा 'कोई बलपूर्वक आदेश नहीं' पारित किया गया था और इस मामले में एस.के. फरीद उर्फ फरीदुद्दीन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (सुप्रा) के मामले के तथ्यों के विपरीत, विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा यह बयान नहीं दिया गया कि उसने कोई अन्य मामला दायर नहीं किया है। यह भी दलील दी गई कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 2 को जमानत देने के लिए कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है या अग्रिम जमानत के लिए उसकी प्रार्थना को कभी खारिज नहीं किया गया है। इसलिए, यह दलील दी गई कि यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाए।

8. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि ज़मानत रद्द करने का आदेश पारित करने के लिए बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियाँ होनी चाहिए। मोटे तौर पर ज़मानत रद्द करने के आधार ये हैं:-

i) समान आपराधिक गतिविधि में लिप्त होना,
ii) जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना,
iii) साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करना,
iv) गवाहों को धमकाना या ऐसी ही गतिविधियों में लिप्त होना जिससे सुचारू जांच में बाधा उत्पन्न हो,
v) उनके दूसरे देश भाग जाने की संभावना हो,
vi) भूमिगत होकर या जांच एजेंसी के लिए अनुपलब्ध होकर खुद को दुर्लभ बनाने का प्रयास करना,
vii) खुद को अपने जमानतदार की पहुंच से बाहर करने का प्रयास करना, आदि।

और विपक्षी पक्ष संख्या 2 के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जमानत रद्द करने का उद्देश्य केवल सुनवाई की रक्षा करना और जमानत आदेश द्वारा मुक्त किए गए अभियुक्त को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोककर समाज को न्याय सुनिश्चित करना है; जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंचानन मिश्रा बनाम दिगंबर मिश्रा और अन्य के मामले में (2005) 3 एससीसी 143** में माना है।

9. इसके अलावा, न्यायालय सीआरपीसी की धारा 437 में उल्लिखित आधारों से अलग किसी आधार पर जमानत रद्द नहीं कर सकता है, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बिमान चटर्जी बनाम संचिता चटर्जी एवं अन्य (2004) 3 एससीसी 388** के मामले में माना है।

10. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, तो निर्विवाद तथ्य यह है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध याचिका संख्या 1544/2020 में पारित 'कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाने' का आदेश अभी भी लागू है। मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। विपक्षी पक्ष संख्या 2 के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई आरोप नहीं है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अग्रिम जमानत आवेदन में विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है।

11. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है, जहां विद्वान सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा आपराधिक विविध आवेदन संख्या 16/2020 में दिनांक 09.12.2020 को पारित आदेश, जिसके तहत और जहां विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सीतारामडेरा पी.एस. केस संख्या 66/2020 के संबंध में ए.बी.पी. संख्या 534/2020 में दिनांक 07.09.2020 को पारित आदेश के तहत विपरीत पक्ष संख्या 2 को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जो कि जी.आर. संख्या 1169/2020 के अनुरूप है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए।

12. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, 16 फरवरी 2024

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।